ACM आदेश

134/17 प्रभु दयाल बनाम कालूराम

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		T.R
	4/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अभिवचन किया की अप्रार्थीगण मौके पर प्रार्थी के बेदखल करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। हमने पत्रावली व मौके बहस किये गये तथ्यों पर मनन किया। पक्षकारों के मध्य यद्दल को लेकर प्रथम दृष्टया विवाद प्रतीत होता है। इसलिए प्रकरण में निर्णय होने तक विवादग्रस्त आराजी के संरक्षण के लिए तथा वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर तातफैसला वाद, वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम हरदतपुरा तहसील [illegible] जिला जयपुर के खसरा नम्बर [illegible] 180 रकबा 0.0[illegible] है०, 181 रकबा 0.03 है०, 182 रकबा 0.35 है०, 183 रकबा 0.31 है०, 203 रकबा 0.04 है०, 204 रकबा 0.26 है०, 205/290 रकबा 0.12 है०, 206 रकबा 0.99

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:48 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रभुदयाल **बनाम** मांगीलाल

[illegible] / वर्ष 138/17 : तह / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	207 रकबा 0.32 है०, 210 रकबा 0.95 है०, 211 रकबा 1.61 है०, कुल किता 12 कुल रकबा 5.42 हैक्टेयर के लिए अप्रार्थीगण 1 ता 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:48 IST
Reason: SelfAttested